



2026:AHC-LKO:15465-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - ए संख्या - 2254 सन 2026**

भारत संघ द्वारा सचिव रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली एवं 4 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

पूर्व क्रमांक 12898357पी नाईक (जीडी/टीए) श्याम दत्त

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : महेंद्र कुमार मिश्रा

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय****माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

1. 2026 में दायर इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता-भारत संघ आदि ने मूल आवेदन संख्या 344/2022 में दिनांक 12.12.2022 को पारित निर्णय को चुनौती दी है।
2. उक्त निर्णय पारित होने के तीन वर्ष से अधिक समय बाद याचिका दायर की गई है।
3. विलंब का पर्याप्त कारण बताने के लिए कहे जाने पर, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने याचिका के प्रस्तर 3 और 4 के माध्यम से हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया। हमने उक्त प्रस्तरों का अध्ययन किया है। प्रस्तर 3 को उक्त विलंब का स्पष्टीकरण नहीं कहा जा सकता। प्रस्तर 4 में कहा गया है कि विलंब सद्भावनापूर्ण है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस याचिका में चुनौती दिए गए निर्णय के तीन वर्ष से अधिक समय बाद याचिका दायर करने का सद्भावनापूर्ण कारण क्या हो सकता है। फाइल को एक कार्यालय या डेस्क से दूसरे कार्यालय या डेस्क पर ले जाना मात्र विलंब का स्पष्टीकरण नहीं है। याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि विलंब के लिए जिम्मेदार किसी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है या नहीं। प्रस्तर 4 में दिए गए कारण इतने अधिक विलंब के लिए स्वीकार्य नहीं हैं। याचिका में अस्पष्ट विलंब हैं और प्रतिवादी के पक्ष में पिछले तीन वर्षों से निर्णय है, इसलिए हमारे समक्ष मौजूद परिस्थितियों में उसे इस विलंबित याचिका का विरोध करने के लिए बाध्य करना अनुचित होगा। इसलिए, हम इस याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज करते हैं।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

फ़रवरी 25, 2026

अनुज सिंह

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।